भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 786
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

लोक अदालतें

786. श्री शशांक मणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील न्यायालयों और आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या कितनी है और ग्रामीण बनाम शहरी न्यायालयों में मामलों के निपटान में औसतन कितना समय लगता है ;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के अंतर्गत पर्याप्त निःशुल्क विधिक सहायता संसाधन और वकील उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : देश भर में जिला/अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या से संबंधित डाटा का रखरखाव सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय, ई-समिति की वेबसाइट के अनुसार (http://ecommitteesci.gov.in/service/district-courts-portal/) देश भर में 688 जिला न्यायालय हैं । और, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 जिसे जमीनी स्तर पर नागरिकों के लिए न्याय सुरक्षित करने के अवसरों को सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की सुगमता का उपबंध करने के उद्देश्य से ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 313 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने दिसंबर, 2020 से अक्टूबर 2024 के दौरान 2.99 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया है ।

और, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा लोक अदालतें ऐसे अंतरालों पर, जो वह उचित समझे संचालित की जाती है ताकि, न्यायालयों में लंबित मामलों को कम किया जा सके और मुकद्दमेबाजी से पूर्व प्रक्रम पर विवादों का निपटान किया जा सके । लोक अदालतें संबंधित न्यायालयों द्वारा यथानिर्दिष्ट न्यायालय में लंबित मामलों का निपटान करती हैं । चूंकि लोक अदालतें स्थायी प्रकृति की नहीं हैं, सभी मामले जिनका निपटारा नहीं होता है, को संबंधित न्यायालयों को लौटा दिया जाता है तथा इस प्रकार वह लोक अदालतों में लंबित नहीं रहते हैं । वर्ष 2024-25 के दौरान (सितंबर, 2024 तक), 5,944 राज्य लोक अदालतों के न्यायपीठ गठित किए गए थे, जिन्होंने 10,11,912 मामलों का निपटान किया । इसके अतिरिक्त, उसी अवधि के दौरान स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगिता सेवाएं) की 17,309 बैठकों के माध्यम से 98,776 मामलों को निपटाया गया था । हालांकि, देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक रुप से डाटा अनुरक्षित नहीं किया गया है ।

(ख) : सरकार ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को 200 करोड़ रुपये जारी किए हैं । विधिक सेवा संस्थाएं ताल्लुक स्तर से उच्चतम न्यायालय के स्तर तक समाज के निर्धन तथा कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हैं ।

सितंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, विधिक सेवा संस्थाओं के पास 41,775 पैनल अधिवक्ता तथा 43,050 पैरा विधिक स्वयंसेवक उपलब्ध हैं, जिससे देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों सहित न्याय की सुगमता में सुधार किया जा सके ।

****